अध्याय 1

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों में राज्य के हिस्से का संक्षिप्त विवरण तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	कर राजस्व	42,824.95	41,913.80	53,377.16	62,960.80	72,511.12
	कर-भिन्न राजस्व	7,399.74	6,961.49	7,394.13	8,742.63	8,103.00
	योग	**50,224.69**	**48,875.29**	**60,771.29**	**71,703.43**	**80,614.12**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	7,111.53	6,437.59	9,722.16	10,378.00	12,345.35[2]
	सहायता अनुदान	10,521.91	12,248.13	7,598.24	7,113.26	8,355.37[3]
	योग	**17,633.44**	**18,685.72**	**17,320.40**	**17,491.26**	**20,700.72**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**67,858.13**	**67,561.01**	**78,091.69**	**89,194.69**	**1,01,314.84**
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**74.01**	**72.34**	**77.82**	**80.39**	**79.57**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

[1] राज्य सरकार के वित्त लेखे।

[2] इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,746.67 करोड़ की राशि शामिल हैं।

[3] इसमें भारत सरकार की ओर से राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान के रूप में ₹ 3,613.48 करोड़ की राशि शामिल है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति (₹ 3,504.88 करोड़) भी शामिल है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.1: कुल राजस्व प्राप्तियां

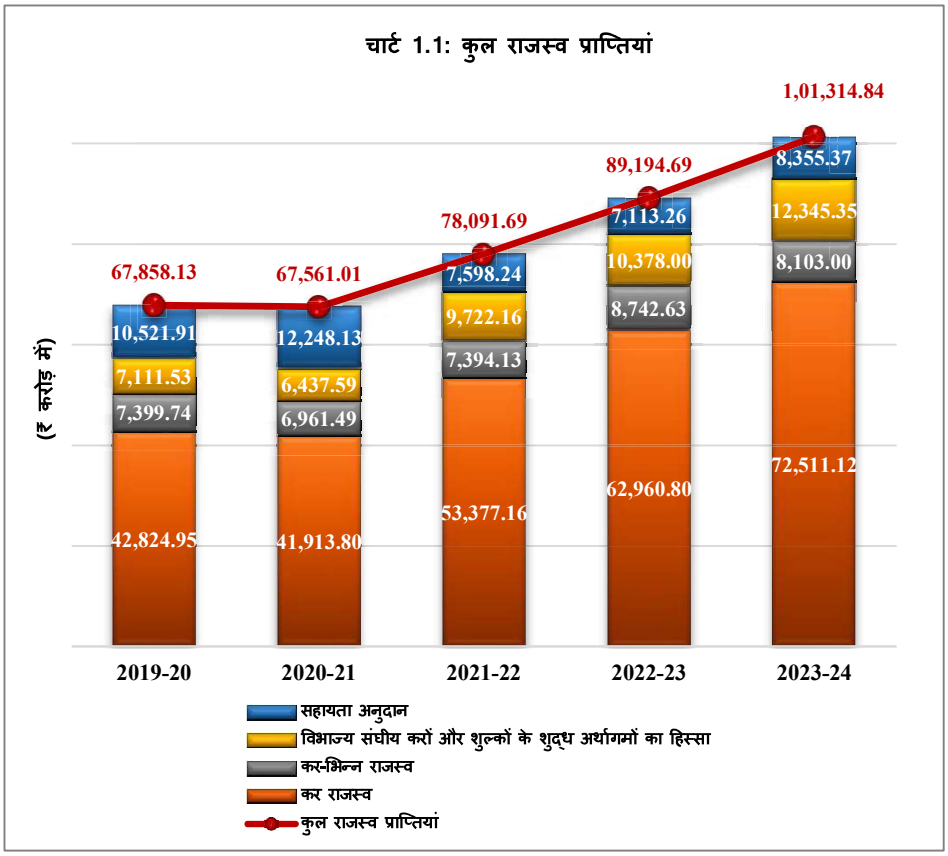

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 49.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 69.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.59 प्रतिशत की कमी हुई और विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के हिस्से में 73.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 80,614.12 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 79.57 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20.43 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के रूप में राज्य का हिस्सा भारत सरकार से मिला था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2019-20 से 2023-24 के दौरान 72.34 प्रतिशत तथा 80.39 प्रतिशत के मध्य थी।

1.1.2 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 के वास्तविकों पर 2023-24 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	8,397.81 (19.61)	8,660.16 (20.66)	11,220.71 (21.02)	11,262.05 (17.89)	11,330.56 (15.63)	0.61
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	18,872.95 (44.07)	18,235.79 (43.50)	22,922.15 (42.94)	28,576.56 (45.39)	33,960.03 (46.83)	18.84
3.	राज्य आबकारी	6,322.70 (14.76)	6,864.42 (16.38)	7,933.42 (14.86)	9,673.37 (15.36)	11,326.48 (15.62)	17.09
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	6,013.30 (14.04)	5,157.02 (12.30)	7,598.38 (14.24)	8,607.13 (13.67)	10,529.29 (14.52)	22.33
5.	माल एवं यात्रियों पर कर	15.85 (0.04)	3.74 (0.01)	5.94 (0.01)	2.76 (0.00)	6.71 (0.01)	143.12
6.	वाहनों पर कर	2,915.76 (6.81)	2,495.08 (5.95)	3,264.61 (6.12)	4,231.20 (6.72)	4,903.64 (6.76)	15.89
7.	बिजली पर कर एवं शुल्क	262.01 (0.61)	476.07 (1.14)	404.36 (0.76)	578.00 (0.92)	424.47 (0.59)	(-) 26.56
8.	भू-राजस्व	20.68 (0.05)	16.60 (0.04)	21.29 (0.04)	22.43 (0.04)	22.41 (0.03)	(-) 0.09
9.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	3.89 (0.01)	4.92 (0.02)	6.30 (0.01)	7.30 (0.01)	7.53 (0.01)	3.15
	योग	**42,824.95**	**41,913.80**	**53,377.16**	**62,960.80**	**72,511.12**	**15.17**
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	**0.57**	**(-) 2.13**	**27.35**	**17.95**	**15.17**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति **चार्ट 1.2** में उल्लिखित है।

चार्ट 1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

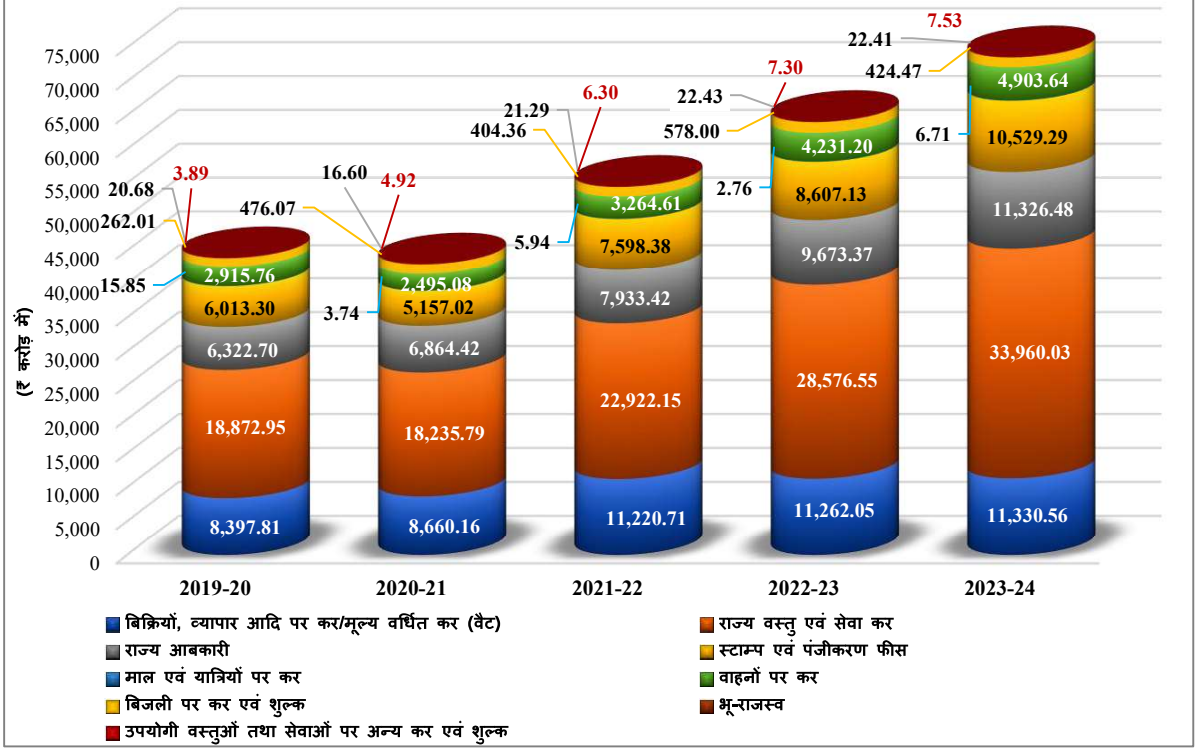

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कर राजस्व में ₹ 29,686.17 करोड़ (69.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें इस अवधि के लिए औसत वृद्धि दर 11.78 प्रतिशत रही।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किएः

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) बकाया राशि (पुराने और वर्तमान दोनों) की वसूली में मामूली बढ़ोतरी, पेट्रोल और डीजल पर वैट के संग्रह और शराब पर सीएसटी में वृद्धि के कारण 2022-23 में ₹ 11,262.05 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर ₹ 11,330.56 करोड़ हो गया।

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** 2022-23 के ₹ 28,576.56 करोड़ की तुलना में 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति बढ़कर ₹ 33,960.03 करोड़ हो गई। यह वृद्धि 2023-24 में करदाता आधार में महत्वपूर्ण वृद्धि (4.85 लाख से बढ़कर 5.11 लाख पंजीकृत करदाता) के कारण हुई, जिससे राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

- **राज्य आबकारी:** लाइसेंस फीस में वृद्धि के कारण राज्य आबकारी की प्राप्ति 2022-23 में ₹ 9,673.37 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर ₹ 11,326.48 करोड़ हो गई।

- **स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस:** अचल संपत्ति के दस्तावेजों के अधिक पंजीकरण (2022-23 में 7,40,810 से 2023-24 में 7,44,856) के कारण स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस की प्राप्ति 2022-23 में ₹ 8,607.13 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर ₹ 10,529.29 करोड़ हो गई।

- **वाहनों पर कर:** नए वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण 2022-23 के ₹ 4,231.20 करोड़ की तुलना में 2023-24 में वाहनों पर कर की प्राप्ति बढ़कर ₹ 4,903.64 करोड़ हो गई।

- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की कम वसूली के कारण बिजली पर कर एवं शुल्क की प्राप्ति 2022-23 में ₹ 578.00 करोड़ की तुलना में 2023-24 में घटकर ₹ 424.47 करोड़ हो गई।

1.1.3 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 के वास्तविकों पर 2023-24 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)					
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,974.86 (26.69)	1,561.74 (22.43)	1,378.23 (18.64)	1,464.09 (16.75)	1,645.20 (20.30)	12.37
2.	सड़क परिवहन	1,114.51 (15.06)	585.38 (8.41)	1,077.44 (14.57)	1,333.43 (15.25)	1,368.50 (16.89)	2.63
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	457.94 (6.19)	595.47 (8.55)	220.11 (2.98)	677.73 (7.75)	366.52 (4.52)	(-) 45.92
4.	शहरी विकास	1,855.51 (25.08)	1,953.92 (28.06)	1,240.74 (16.78)	1,284.24 (14.69)	1,559.63 (19.25)	21.44
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	702.25 (9.49)	1,020.95 (14.67)	837.77 (11.33)	834.41 (9.54)	810.77 (10.01)	(-) 2.83
6.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	171.74 (2.32)	209.67 (3.01)	232.10 (3.14)	360.11 (4.12)	618.33 (7.63)	71.71
7.	पुलिस	179.84 (2.43)	53.51 (0.77)	87.39 (1.18)	90.25 (1.03)	159.05 (1.96)	76.23
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	107.89 (1.46)	65.62 (0.94)	87.83 (1.19)	155.02 (1.77)	167.69 (2.07)	8.17
9.	वानिकी एवं वन्य जीवन	23.07 (0.31)	19.97 (0.29)	16.73 (0.23)	21.27 (0.24)	23.03 (0.28)	8.27
10.	विविध सामान्य सेवाएं[4]	62.96 (0.85)	131.69 (1.89)	283.99 (3.84)	102.75 (1.18)	189.05 (2.33)	83.99
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	171.89 (2.32)	197.19 (2.83)	221.87 (3.00)	472.53 (5.40)	301.21 (3.72)	(-) 36.26
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	577.28 (7.80)	566.38 (8.14)	1,709.93 (23.13)	1,946.80 (22.27)	894.02[5] (11.04)	(-) 54.08
योग		**7,399.74**	**6,961.49**	**7,394.13**	**8,742.63**	**8,103.00**	**(-) 7.32**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

[4] अस्वामिक जमा, राज्य लॉटरी, भूमि तथा संपत्ति की बिक्री और गारंटी फीस।

[5] लाभांश एवं लाभ ₹ 289.79 करोड़, लोक सेवा आयोग ₹ 20.15 करोड़, जेल ₹ 4.06 करोड़, आपूर्ति एवं निपटान ₹ 0.43 करोड़, स्टेशनरी एवं मुद्रण ₹ 0.55 करोड़, लोक निर्माण ₹ 56.67 करोड़, पेंशन के लिए अंशदान और वसूली ₹ 68.16 करोड़, परिवार कल्याण ₹ 0.02 करोड़, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता ₹ 48.69 करोड़, आवास ₹ 10.02 करोड़, सूचना एवं प्रकाशन ₹ 0.29 करोड़, श्रम एवं रोजगार ₹ 43.87 करोड़, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ₹ 162.36 करोड़, अन्य सामाजिक सेवाएं ₹ 0.30 करोड़, फसल पालन ₹ 43.04 करोड़, पशुपालन ₹ 2.33 करोड़, डेयरी विकास ₹ 0.01 करोड़, मछली पालन ₹ 3.45 करोड़, खाद्य भंडार एवं भंडारण ₹ 0.23 करोड़, सहकारिता ₹ 8.65 करोड़, अन्य कृषि कार्यक्रम ₹ 1.73 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ₹ 2.96 करोड़, ग्रामीण एवं लघु उद्योग ₹ 4.22 करोड़, उद्योग ₹ 0.18 करोड़, नागरिक विमानन ₹ 1.63 करोड़, सड़क एवं पुल ₹ 65.01 करोड़, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान ₹ 0.01 करोड़, पर्यटन ₹ 0.96 करोड़, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं ₹ 54.25 करोड़।

चार्ट 1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

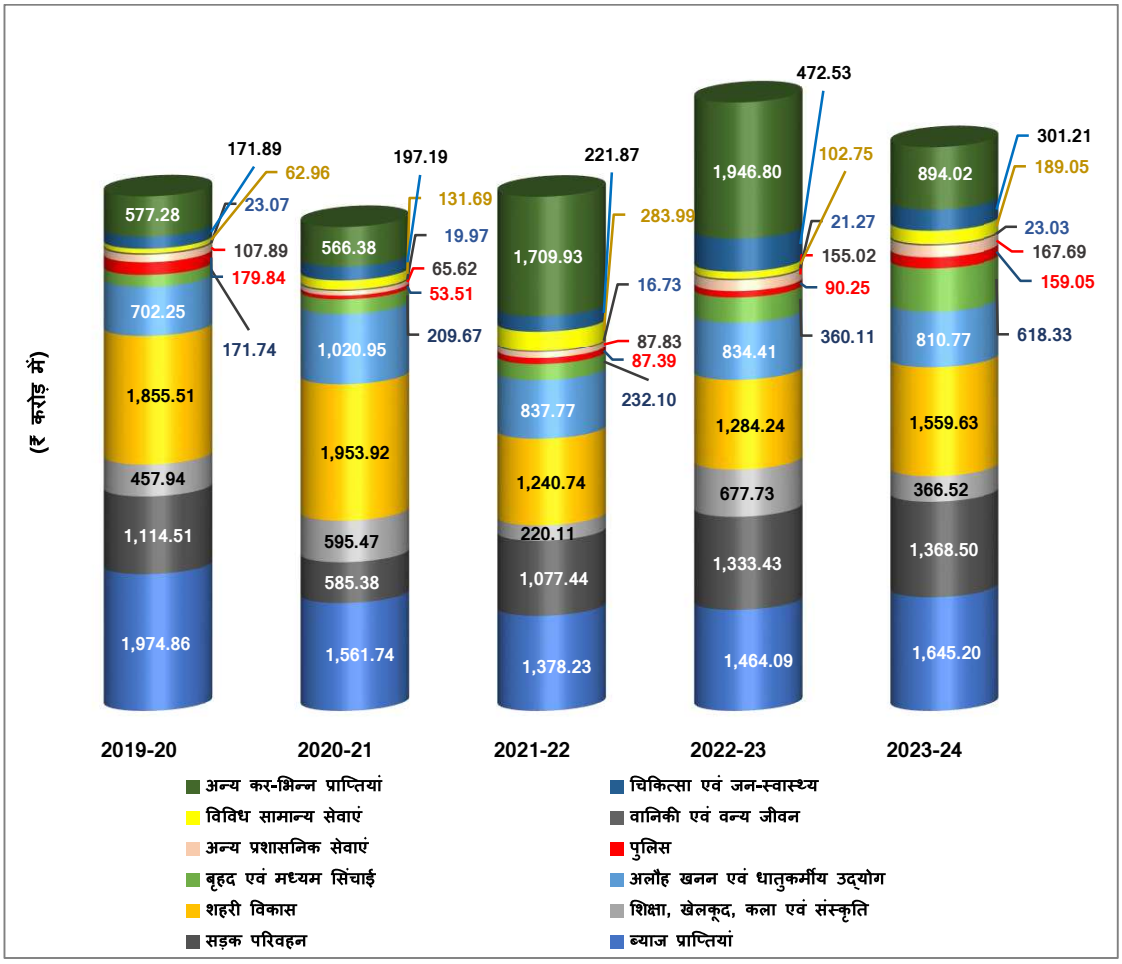

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा आठ प्रतिशत रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 639.63 करोड़ (7.32 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गई। यह कमी मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य (41.94 प्रतिशत) की प्राप्तियों में आई गिरावट के कारण हुई। इसके विपरीत, पिछले वर्ष की तुलना में पुलिस (76.23 प्रतिशत), शहरी विकास (21.44 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियों (12.37 प्रतिशत) और बृहद् एवं मध्यम सिंचाई (71.71 प्रतिशत) के तहत कर-भिन्न प्राप्तियों में वृद्धि हुई। ब्याज प्राप्ति, शहरी विकास के तहत प्राप्तियां और सड़क परिवहन कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और कुल कर-भिन्न राजस्व में 56.43 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **शहरी विकास:** 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (21.44 प्रतिशत) इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए सी.एल.यू./लाइसेंस मामलों की अधिक संख्या के कारण थी।

- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** पिछले वर्ष के बकाया की वसूली और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की शेष राशि के कारण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (71.71 प्रतिशत) हुई।
- **पुलिस:** अन्य राज्य सरकारों को पुलिस सेवाएं प्रदान करने के कारण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (76.23 प्रतिशत) हुई।
- **चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य:** लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण के लिए आवेदनों की संख्या में कमी के कारण 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों में कमी (36.26 प्रतिशत) हुई।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2024 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 34,548.64 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 14,231.35 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि **तालिका 1.4** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2024 को बकाया राशि	31 मार्च 2024 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,437.24	12,581.07	माननीय उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,033.19 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी और सरकार द्वारा ₹ 65.14 करोड़ की वसूली रोकी गई थी। ₹ 38.38 करोड़ की वसूली डीलरों के दिवालिया होने के कारण और ₹ 1,429.93 करोड़ की वसूली सुधार/समीक्षा/आवेदन के कारण लंबित थी। ₹ 112.02 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी। न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण ₹ 3,580.87 करोड़ के बकाया की वसूली लंबित थी, अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किए जाने के कारण ₹ 1,734.07 करोड़ लंबित थे, और ₹ 18,904.51 करोड़ की वसूली कार्रवाई के विभिन्न चरणों[6] में थी। अंतर-राज्यीय बकाया ₹ 390.17 करोड़ और अंतर-जिला बकाया ₹ 112.95 करोड़ था। ₹ 0.10 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। शेष ₹ 3,035.91 करोड़ की राशि सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वितीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण बकाया थी।
2	राज्य आबकारी	663.85	267.19	माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 30.10 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.67 करोड़ की वसूली बट्टे खाते डाली जानी संभावित थी। न्यायालय के मामलों के कारण ₹ 46.98 करोड़ के बकाया की वसूली लंबित थी, अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किए जाने के कारण ₹ 70.92 करोड़ लंबित थे, और ₹ 369.96 करोड़ की वसूली कार्रवाई के विभिन्न चरणों में थी। अंतर-राज्यीय बकाया ₹ 36.95 करोड़ और अंतर-जिला बकाया ₹ 108.27 करोड़ था।
3	बिजली पर कर एवं शुल्क	446.93	181.00	अंतर-राज्यीय बकाया के कारण ₹446.93 करोड़ की राशि लंबित थी।

[6] विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2024 को बकाया राशि	31 मार्च 2024 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
4	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	203.38	203.24	₹ 177.93 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, सरकारी परिसमापक/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 0.05 करोड़ की वसूली लंबित थी। ₹ 0.05 करोड़ न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण लंबित थे, ₹ 4.98 करोड़ विभाग द्वारा अन्य कारणों से वसूली न करने के कारण लंबित थे तथा ₹ 20.37 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5	पुलिस	140.88	40.89	₹ 7.37 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (भा.ते.नि.लि.) से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम लिमिटेड से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.30 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 33.22 करोड़ कानून व्यवस्था हेतु तथा चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.11	11.11	₹ 8.52 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.01 करोड़ की वसूली बट्टे खाते डाली जानी संभावित थी तथा न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 0.21 करोड़ लंबित थे तथा ₹ 0.04 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी। सरकारी परिसमापक/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास ₹ 2.33 करोड़ की राशि लंबित थी।
7	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,645.25	946.85	₹ 513.79 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों[7] द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थी, ₹ 516.17 करोड़ की वसूली माननीय उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.26 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के कारण ₹ 3.03 करोड़ लंबित थे, अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न किये जाने के कारण ₹ 1,372.51 करोड़ लंबित थे। अंतरराज्यीय बकाया ₹ 0.49 करोड़ और अंतरजिला बकाया ₹ 220.91 करोड़ थे। कार्रवाई के अन्य चरणों में ₹ 18.09 करोड़ की शेष राशि बकाया थी।
	योग	**34,548.64**	**14,231.35**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त **तालिका 1.4** से यह देखा जा सकता है कि पांच वर्षों से अधिक पुराने राजस्व के कुल बकाया का 88.19 प्रतिशत हिस्सा बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट से संबंधित था। गुरुग्राम (पश्चिम), पानीपत, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (उत्तर) जिलों में पांच वर्षों से अधिक पुराने राजस्व का जिलावार बकाया क्रमशः 8.43 प्रतिशत, 12.44 प्रतिशत, 14.71 प्रतिशत और 16.06 प्रतिशत था। विभागों/सरकार को राजस्व के लंबित बकाये की वसूली के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण

[7] इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, अथवा किसी टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की शर्तों के तहत सरकार को देय कोई भी किराया, रॉयल्टी, कर, फीस या अन्य राशि, राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, उसी तरह वसूल की जा सकती है जैसे भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर/वैट के संबंध में प्रस्तुत किए गए, **तालिका 1.5** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.5: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2019-20	2,96,685	31,594	3,28,279	2,92,709	35,570	89
	2020-21	35,570	3,606	39,176	34,140	5,036	87
	2021-22	5,036	4,240	9,276	3,096	6,180	33
	2022-23	6,180	4,473	10,653	3,576	7,077	34
	2023-24	7,077	3,884	10,961	3,588	7,373	33

स्रोतः राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित मामलों की संख्या घटकर 7,373 रह गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह 35,570 थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि मामलों के निपटान का प्रतिशत 2019-20 में 89 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2023-24 में 33 प्रतिशत रह गया। **मामलों के निपटान और लंबित रहने का जिलावार प्रतिशत अनुलग्नक I से V में दिया गया है।**

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 29 से 31 के प्रावधानों के अनुसार, विभाग को कर अपवंचन का पता लगाने के लिए व्यावसायिक परिसरों का निरीक्षण करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, विभाग नए करदाता की पहचान करने के लिए व्यावसायिक परिसरों में सर्वेक्षण भी करता है। इसके अतिरिक्त, माल के पारगमन के दौरान कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए रोड साइड चेकिंग भी एक साधन है।

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अंतिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2023 को लंबित मामले	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2024 को अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	1	0	1	1	0.003	0
2	राज्य आबकारी	37	141	178	143	6.24	35
योग		**38**	**141**	**179**	**144**	**6.24**	**35**

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना

31 मार्च 2024 तक, 35 मामले निर्धारण/जांच के लिए लंबित हैं, 144 मामलों का निपटान कर दिया गया है, और इन मामलों में विभाग द्वारा ₹ 6.24 करोड़ की मांग की गई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2023-24 के आरम्भ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत/अस्वीकृत रिफंड तथा वर्ष 2023-24 के अंत में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 1.7** में वर्णित हैं।

तालिका 1.7: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	217	187.08	37	3.42
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	211	64.82	79	13.54
3	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	333	88.09	83	14.67
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	95	163.81	33	2.29

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई सूचना

बिक्री कर/वैट और राज्य आबकारी के संबंध में वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में बकाया मामलों की संख्या में कमी आई है। फरवरी 2026 तक विभाग से वस्तु एवं सेवा कर रिफंड मामलों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियोजित किए गए 165 यूनिटों में से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान (राज्य आबकारी) के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 161 यूनिटों की लेखापरीक्षा की जैसा कि **तालिका 1.8** में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.8: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	143	143
राज्य आबकारी	22	18
योग	**165**	**161**

आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियोजित/आयोजित नहीं की गई थी और विभाग द्वारा इसका कारण भी नहीं बताया गया। मोटर वाहनों पर कर के मामले में, आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई नहीं गई/आयोजित नहीं की गई, जिसका कारण कथित तौर पर कर्मचारियों की कमी बताया गया। उल्लेखनीय है कि अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र का संकेत हैं।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.) तैयार किए जाते हैं, जो संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने

के लिए जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रबंधन-पत्र के रूप में सूचित की जाती हैं।

जून 2024 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि जून 2024 के अंत में 3,265 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 11,807 अनुच्छेद बकाया रहे जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ **तालिका 1.9** में वर्णित है।

तालिका 1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2022	जून 2023	जून 2024
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,053	3,140	3,265
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	9,950	10,384	11,807

1.7.1 विभाग-वार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन

जून 2024 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विभाग-वार विवरण नीचे **तालिका 1.10** में वर्णित हैं।

तालिका 1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या
1	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	452	4,692
		राज्य आबकारी	269	653
		माल एवं यात्रियों पर कर	247	433
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	49	65
2	**राजस्व**	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	1,487	4,513
		भू-राजस्व	173	311
3	**परिवहन**	वाहनों पर कर	469	910
4	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	12	27
5	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	107	203
योग			**3,265**	**11,807**

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अभ्युक्तियों के समाधान के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। सरकार को विभागों को जवाबदेह ठहराने और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और निपटाए गए अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.11** में वर्णित है।

तालिका 1.11: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ करोड़ में)
1	आर.टी.ए./आर.एल.ए., परिवहन विभाग	6	33	0.63

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, 145 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण **तालिका 1.12** में उल्लिखित है।

तालिका 1.12: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) तथा परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या
कर-निर्धारण मामले		
गुरुग्राम (उत्तर)	2023-24	**130**
परिवहन आयुक्त, हरियाणा	2023-24	**5**
आर.टी.ए. पंचकुला	2023-24	**10**
योग		**145**

कार्यालय द्वारा संकलित डाटा

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संबंधित प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजें।

जनवरी और दिसंबर 2025 के मध्य कुल 26 प्रारूप अनुच्छेद (एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) संबंधित विभागों के प्रशासनिक अपर मुख्य सचिवों के पास भेजे गए थे। इन मामलों में सरकार की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, संबंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में सही स्थान पर उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में पुनः दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर सरकार द्वारा लोक लेखा समिति के विचार हेतु इस पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करनी चाहिए।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और वित्त विभाग में "एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली" पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित कुल 18 अनुच्छेद शामिल हैं, को 10 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया था, जिसके लिए कृत कार्रवाई टिप्पणियां अभी प्रतीक्षित हैं।

लोक लेखा समिति की 22वीं से 90वीं रिपोर्ट में निहित वर्ष 1979-80 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 1,004 सिफारिशें, जैसा कि परिशिष्ट 1.1 और 1.2 में विस्तृत विवरण दिया गया है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का उत्तर देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राज्य आबकारी के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2024 को उनकी स्थिति परिशिष्ट 1.3 में उल्लिखित है।

31 मार्च 2024 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2014-15 में 116 से बढ़कर 2023-24 में 260 हो गई और अनुच्छेदों की संख्या 2014-15 में 201 से बढ़कर 2023-24 में 537 हो गई। इस अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के आरटीए/आरएलए के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की छः बैठकें (ए.सी.एम.) आयोजित की गई और ₹ 0.63 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के 33 अनुच्छेदों का निपटान किया गया।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य आबकारी) द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूली की गई राशि की स्थिति परिशिष्ट 1.4 में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति कम (26.20 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करे।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

लेखापरीक्षा के दायरे (राजस्व सेक्टर) में राज्य की 392 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से 2023-24 के दौरान 161 इकाइयों[8] की योजना बनाई गई थी और उनकी लेखापरीक्षा की गई थी। इन इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

[8] हरियाणा रोडवेज से संबंधित 18 इकाइयां।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, उत्पाद शुल्क और परिवहन से संबंधित 143 (141 राजस्व + 2 व्यय) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 7,144 मामलों में कुल ₹ 998.85 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,769 प्रकरणों में शामिल ₹ 814.62 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2023-24 के दौरान 41 मामलों में ₹ 0.24 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.20 करोड़ की राशि के 41 मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 509.22 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से आवेष्टित 22 प्रारूप अनुच्छेद (एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित) शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 509.22 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.56 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 4 में चर्चा की गई है।